न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/69

1. भैरू प्रकाश आत्मज भंवर लाल जाति रेगर निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. हंसराज आत्मज भंवर लाल जाति रेगर निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. हरिराज आत्मज भंवर लाल जाति रेगर निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. भंवर लाल आत्मज दियाराम रेगर भंवर लाल जाति रेगर निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

कालू आत्मज गोल्या जाति खाती निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1723/1258 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का खातेदार कृषक वादी है उक्त भूमि वादी को दिनांक 28.10.1977 को आवंटित हुई थी तब से आज तक उक्त भूमि पर निरन्तर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं और उक्त भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में तथा उसके शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें, फसल बोने से मना नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के बिना ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए गुणागुण के आधार पर निर्णित कर दिया । लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित था जिसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही किया जा सकता था । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षों से काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश होने पर अपीलान्टगण द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था उसके उपरान्त पत्रावली तनकीयात हेतु दिनांक 06.06.2017 को तारीख पेशी नियत की गई थी । उक्त पेशी पर अपीलान्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई उक्त दिनांक को नोटिस बोर्ड पर 02.08.2017 तारीख पेशी अंकित की गई । अपीलान्टगण दिनांक 02.08.2017 को न्यायालय में उपस्थिति हुए तो उन्हें बताया गया कि उनकी पत्रावली का निर्णय दिनांक 19.06.2017 को ही लोक अदालत में कर दिया गया है । अपीलान्ट ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात में लम्बित थी और अपीलान्ट को सूचना दिये बिना इसे लोक अदालत में रखा गया और दावा वादी रेस्पोडेन्ट डिक्री कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य लिये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि –विरूद्ध है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी दावा वादी लोक अदालत में डिक्री किया गया है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात की कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा